

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम जीगराना
 सुरेन्द्र कुमार वनाम कानवारी वगैरे
 दावा नं० 80 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामिल
 में जारी हुए

15-8-21 माफ मद् वाद पत्र कार्य
 के ताले-डोकर पेस किया इन्हें
 वापस हो जावेगी तब जाये
 क्यात वलय हो वाद वल्ले
 दिनांक 18-4-21 का पेस हो

उपखण्ड अधिकारी
मुयना (अलवर) राज.

12-4-21 आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कमरिशियात
 पीठारीन अधिकारी अदालत
 मिटिंग में पचां ३ पत्रावली उनक
 समय दि 5-7-21 का पेश हो। K

5-7-21 आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाब का रियात
 पीठारीन अधिकारी अदालत
 मिटिंग में पचां ३ पत्रावली उनक
 समय दि 4-10-21 का पेश हो। K

11/10/21 आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाब 390
 पीठारीन अधिकारी अदालत उताव कमरेश
 मिटिंग में पचां ३ पत्रावली उनक
 समय दि 07/12/21 का पेश हो। K

5-6-23
उपरोक्त प्रमाण पत्र को जारी करने के लिये
पत्राचार नं. 1, जिला प्रशासनिक प्रशासन विभाग
पत्राचार नं. 1, जिला सरकार
दिनांक 20-7-23

उपरोक्त अधिकारी
सिम्हान्त प्रशासन

4-7-23 का प्रमाण पत्र पत्राचार नं. 1
वकील के प्रमाण पत्र को रद्द करने के
लिए जारी प्रमाण पत्र में लिखा है
कि यह प्रमाण पत्र में कायदा
बाधित है और प्रमाण पत्र
को रद्द करने के लिए नोट प्रेषित
में खास तौर पर नोट प्रेषित
प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए
लिखा गया है और नोट प्रेषित
के लिए प्रमाण पत्र को नोट प्रेषित
में खास तौर पर लिखा गया है प्रमाण
पत्र को रद्द करने के लिए नोट प्रेषित
में खास तौर पर लिखा गया है

उपरोक्त अधिकारी
सिम्हान्त (प्रशासन) प्रशासन

FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

चुरेन्द्र पुत्र किशोरी जाति अहीर नि० ग्राम मोहलडिया तह० नीमराना जिला अलवर
बनाम

बनवारी पुत्र किशोरी जाति अहीर नि० ग्राम मोहलडिया तह० नीमराना जिला अलवर व अन्य

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट मु० न० 51

सन 15.02.2021



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागिल में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

15.02.2021 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। वहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।



अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेश तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 444, 599, 775, 902 कुल किता 04 वाके ग्राम मोहलडिया तह० नीमराना जिला अलवर राजस्थान के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। क्योंकि उक्त आदेश ताफैसला सम्पुष्ट कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। वाद तलबी पत्रावली दिनांक 12.04.2021 को पेश हो।



उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

12-2-21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील 
पीठासीन अधिकारी 

मिटिंग में पत्रावली पेश की।
मस्य दि 5-2-21 का पत्र हो। K

5-7-21 आज पत्रावली पेश हुई। वकील 
पीठासीन अधिकारी 

मिटिंग में पत्रावली पेश की।
मस्य दि 4-10-21 का पत्र हो। K

20/8/23

हुक्म पत्रावली के 23, अलवर का कार्यवाही
पीठासीन अधिकारी अलवर
मिडिल म पत्रा 8 अलवर, उमर
मसूदा दि 3-4-23 का पत्र सं. 12

4-4-23

हुक्म पत्रावली के 23, अलवर का कार्यवाही
पीठासीन अधिकारी अलवर
मिडिल म पत्रा 8 अलवर, उमर
मसूदा दि 27-4-23 का पत्र सं. 12

27-4-23 पत्रावली का लुके वक
दिनांक 5-6-23 का पत्र सं. 12

उपरोक्त अधिकारी
नामगना (अलवर) राज

5-6-23

हुक्म पत्रावली के 23, अलवर का कार्यवाही
उपरोक्त के अलवर का मसूदा पत्र सं. 12
मसूदा दि 20-7-23 का पत्र सं. 12

उपरोक्त अधिकारी
नामगना (अलवर) राज

4.7.23 मांग पत्रावली के 23 का लुके वक
पत्रावली के अलवर का मसूदा पत्र सं. 12
में अलवर के अलवर का मसूदा पत्र सं. 12
पत्र सं. 12 का मसूदा पत्र सं. 12
विभागीय है अलवर का मसूदा पत्र सं. 12
के अलवर के अलवर का मसूदा पत्र सं. 12
मसूदा पत्र सं. 12 का मसूदा पत्र सं. 12

उपरोक्त अधिकारी
नामगना (अलवर) राज